

Request-83

स्मृति-पत्र

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक-

114/XV

झांसी।

दिनांक- जनवरी 12, 2018

सन्दर्भ- जनपद न्यायालय, झांसी का पत्रांक-3305/पन्द्रह दिनांक 12.12.2016

विषय- श्रीमती मनीषा एवं श्री नरेन्द्र पाल राणा दोनों पति-पत्नी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा पृथक-पृथक रूप से आवेदित पेट्रोल व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से यह दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया था " कि एक ही जनपद में कार्यरत पति-पत्नी न्यायिक अधिकारीगण को, माननीय शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार, पृथक-पृथक रूप से 50 लीटर पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं। "

इसी क्रम में निवेदन करना है कि वर्तमान में इस न्यायिक अधिष्ठान में श्रीमती मनीषा एवं श्री नरेन्द्र पाल राणा दोनों पति-पत्नी, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जिनको उक्त प्रतिपूर्ति भत्तः अनुमन्य कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से उक्त विषयांकित प्रकरण में दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त होना आवश्यक है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम आवश्यक दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त कराने का कष्ट करें, जिससे कि विषयांकित प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

सम्मान सहित !

भवदीय,

Upendra Kumar
12-1-18

(उपेन्द्र कुमार)

जनपद न्यायाधीश,

झांसी।

जिला जज

झांसी (30प्र0)

Regd(B)

W. 18/18

①
SM

20 JAN 2018

DRUB

Regd(B)
29/1/18

198
30-1-06

संख्या-6058/दो-4-04-45121/91 टी.सी.

प्रेषक,
दीपक विवेदी,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषण में,
महासंचालक,
उत्तर न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय: प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेदटी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस काम में माओ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजज एसोसिएशन एवं अन्य ब्रानच यूनियन आफ इण्डिया से अन्व में दिनांक-21 मार्च, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को पारित आदेशों के संदर्भ में उच्च राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएं प्रदान किया जाना।

DR (Adm)
02/02/06

महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेदटी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति तथा उस काम में माओ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजज एसोसिएशन एवं अन्य ब्रानच यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्व में दिनांक-21 मार्च, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 को पारित आदेशों के संदर्भ में निम्नानुसार भत्ते/सुविधाएं अनुमत्त किन्हे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहय प्रदान की गयी है:-

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता
- (1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक/महानगरीय मजिस्ट्रेट, को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूरक कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों को महय 1 फुल फोर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए महानगरीय शहरों में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमत्त होगा।
- (3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी:

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमत्त पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
ए श्रेणी या-1 श्रेणी के शहर	75
जिला मुख्यालय	50

नोट- जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें फूल कार की सुविधा अनुमत्त नहीं होगी। फूल कारों की आवश्यकता का आगमन तदनुसार ही किया जायगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय-प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमत्त होगा:-

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारी की श्रेणी	मासिक भत्ता (रुपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज(सीनियर डिप्टीजज)	750
3.	सिविल जज(जूनियर डिप्टीजज)	500

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रु०-5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पाँच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से लागू होगी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

दूरभाष सुविधा

5. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस.टी.डी. सुपल होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक महानगरीय मजिस्ट्रेट को ही अनुमत्त होगी।

-3-

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार
निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमत्त होगी:-

क्रमांक	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2	अतिरिक्त जिला जज/ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000
3	सिविल जज(सीमियर डिवीजन) एवं चीफ जूडीशियल/महानगरीय मजिस्ट्रेट	2000	1000
4	सिविल जज (जूजियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति
न्यायिक अधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत भुगतान के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम रु०-500 प्रतिमाह की संयुक्त सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमत्त होगी। यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये बिलों की मूलरूप में प्रस्तुत करने पर देय होगी।

7. आवास/मकान किराया भत्ता
सम्स्त न्यायिक अधिकारी अपनी पात्रता के आधार पर निःशुल्क सरकारी आवास, आरंभित मकानों के हकदार होंगे। सरकार द्वारा आवास उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में शासन के संगत आदेशों के अनुसार सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को मकान किराया भत्ता देय होगा।

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता
न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमत्त होगा।

9. अवकाश नगदीकरण
न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नगदीकरण लेने की सुविधा अनुमत्त होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिए अधिकारी को बाध्य नहीं किया जायेगा। इस पर्योजनार्थ प्रथम 02 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ माणी जायेगी।

-4-

10.

अवकाश यात्रा सुविधा

व्यायक्त अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिए 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। व्यायक्त अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह-जनपद के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमत्त होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिए प्रथम 04 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ होगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से राश्विधित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

11.

एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान

व्यायक्त अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 कि०मी० से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वारताव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर एकात्मिक एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमत्त होगा।

12.

चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता

व्यायक्त अधिकारियों एवं उनके परिवार-जण को सरकारी अस्पतालों/ओपथालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा-उपचार हेतु मातृता-प्राप्त और सरकारी अस्पतालों/ओपथालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तदधिकृत संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमत्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यायक्त अधिकारी को रुपये 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमत्त होगा।

2-

उपरोक्त आदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिए इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय-प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

3-

उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश तदनुसार अतिरिक्त समझे जायेंगे।

0522-2239288

SECY APPT & KARMIK

PAGE 05

-5-

4- उपर्युक्त आदेश विला विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी-1-42/एस-06, दिनांक-जनवरी 20, 2006 में प्राप्त उक्तकी सहमति से निरत किये जा रहे हैं।

भारतीय,

(दीपक तिवेदी)
सचिव

पञ्जाब संख्या-6058(1)/डो-4-05, तददिनांक।

प्रतिनिधि मिश्रित जिले सुभागाएँ एवं उत्तर प्रदेश आसपास कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, 30 प्र०।
3. निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30 प्र० लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, ध्याय विभाग, 30 प्र० शासन।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
7. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. संयुक्त निदेशक, शिपिर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, जयपुर कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
9. इलाहाबाद अनुभाग/इलाहाबाद (वेतन-पत्र) प्रकोष्ठ।
10. महासेवाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट 1 एवं 2, 30 प्र० इलाहाबाद।
11. समस्त जगपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
12. श्री प्रवीण स्वरूप, एडवोकेट-आन-रिजार्ड, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सतीश मोहन)
अध्य सचिव